हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

48 वीं बोर्ड बैठक का एजेण्डा

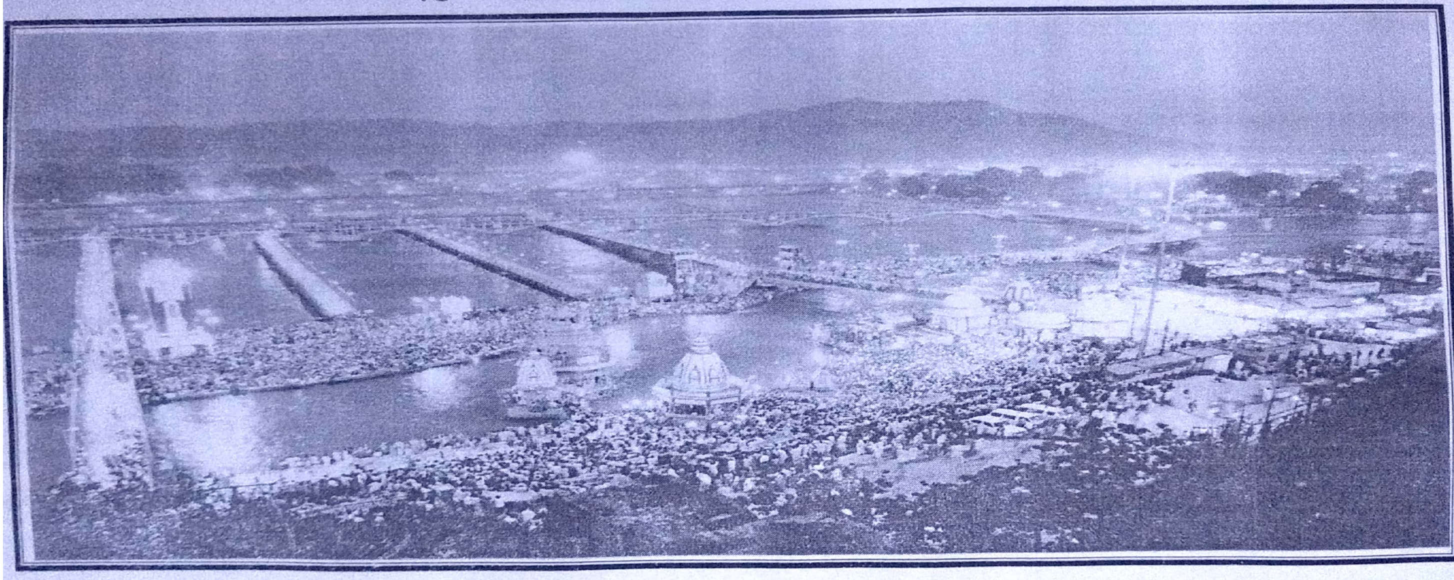

दिनांकः 22—01—2010

परिचालन विधि

कार्यालय,हरिद्वार विकास प्राधिकरण,हरिद्वार

मद संख्या– 48(1)वीं बोर्ड बैठक।

विषय–हरिद्वार विकास प्राधिकरण में दिनॉक 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने के सम्बन्ध मे।

उत्ताराखण्ड शासन,आवास विभाग के पत्र संख्या–1927/V–आ0–2009–153 (आ)-09 दिनॉक 6 अक्टूबर 2009 द्वारा यह निदेश दिए गये है कि शासनादेशों के अनुसार प्राधिकरण के नियमित कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतनमान दिए जाने के प्रस्ताव का परीक्षण कर प्राधिकरण बोर्ड की संस्तुति सहित आवश्यक प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जाय।
हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार के नियमित कार्मिकों का दिनॉक 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर्गत निर्धारित करते हुए एरियर राशि तैयार की गयी है। कुल एरियर अनुमानित राशि लगभग रूपया– 47,64,876–00 है जिसको शासनादेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2009–10,2010–11 एंव 2011–12 में समानुपातिक भुगतान किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

विगत 3 वर्ष का आय–व्ययक तैयार किया गया है जो कि संलग्नक है, इसके अनुसार वर्ष 2006–07 से वर्ष 2008–09 तक रूपया– 887.34 लाख की बचत हुयी है तथा आगामी 03 वर्षो 2009–10 से 2011–12 तक रूपया– 312.75 लाख की बचत प्रस्तावित है। इसके साथ ही अवगत कराना है कि प्राधिकरण के उपर किसी भी वित्तीय संस्थान / शासन की कोई देयता नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति अत्यन्त ही सुदृढ़ है तथा छठे वेतन आयोग द्वारा संस्तुत दिनांक 01.01.2006 से वेतनमान एवं उसके बकाया की राशि का भुगतान करने में सक्षम है।

अतः परिचालन विधि के माध्यम से प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष इस आशय से प्रस्तुत है कि प्राधिकरण में पुनरीक्षित वेतनमान 1–1–2006 से लागु करते हुये वेतन एवं देय बकाया की राशि शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में भुगतान कर दिया जाय और निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर दिया जाय। अतः प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

लेखाकार   अधिष्ठान प्रभारी   वित्त अधिकारी   सचिव   उपाध्यक्ष

माननीय सदस्य गण–

1. अध्यक्ष न० पा० परिषद हरिद्वार – 16/12/09
   अध्यक्ष
   नगर पालिका परिषद,
   हरिद्वार
2. जिलाधिकारी, हरिद्वार [illegible] D.M
3. अध्यक्ष न०पा० ऋषिकेश
   (दीप शर्मा)
   अध्यक्ष
   नगरपालिका परिषद, ऋषिकेश
4. अध्यक्ष नगर पंचायत मुनिकीरेती
   अध्यक्ष
   नगर पंचायत, मुनिकीरेती
   टिहरी गढ़वाल
5. वरिष्ठ नियोजक
   नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग →
   उत्तराखण्ड, देहरादून
   वरिष्ठ नियोजक
   नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग
   उत्तराखण्ड, देहरादून

VC, HDA
सहमत। प्रस्ताव भी [illegible] शासन से [illegible] बोर्ड की संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को प्रेषित करें।

[illegible] आयुक्त
[illegible] मण्डल, पौ०

Secy
23/12/09
उपाध्यक्ष
ह०वि०प्रा०

प्रेषक,

सचिव
हरिद्वार विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार

सेवा में,

1. सचिव, आवास विभाग , उत्तराखण्ड शासन , देहरादून ।
2. प्रमुख सचिव , वित्त विभाग , उत्तराखण्ड शासन , देहरादून ।
3. सचिव , तीर्थाटन/पर्यटन , उत्तराखण्ड शासन , देहरादून ।
4. सचिव , सिंचाई विभाग , उत्तराखण्ड शासन , देहरादून ।
5. सचिव , पेयजल विभाग , उत्तराखण्ड शासन , देहरादून ।
6. उपाध्यक्ष , हरिद्वार विकास प्राधिकरण , हरिद्वार ।
7. जिला मजिस्ट्रेट , हरिद्वार ।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक , ग्राम्य एवं नगर नियोजक विभाग , उत्तराखण्ड , 53 , टी0एच0डी0सी0 विस्थापित क्षेत्र , तोमर काम्पलेक्स , देहराखास , देहरादून ।
9. अध्यक्ष , नगर पालिका परिषद , हरिद्वार ।
10. अध्यक्ष , नगर पालिका परिषद , ऋषिकेश ।
11. अध्यक्ष नगर पंचायत , मुनि की रेती , टिहरी गढवाल ।
12. प्रशासक , नगर पंचायत , रानीपुर हरिद्वार ।

संख्या : 2823 /प्रशा0–2(क)–22/79/2009–10   दिनांकः– 12 जनवरी 2010

विषय : हरिद्वार विकास प्राधिकरण की 48वीं बोर्ड बैठक दिनांक 22.12.2009 की कार्यवाही का प्रेषण।

महोदय ,

कृपया अवगत् कराना है कि हरिद्वार विकास प्राधिकरण की 48वीं बोर्ड बैठक दिनांक 22.12.2009 को परिचालन विधि से सम्पन्न हुई है। कार्यवाही की छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न कर प्रेषित है।
संलग्नक उपरोक्तानुसार:

भवदीय

(एच0सी0 सेमवाल)
सचिव

प्रतिलिपि:
अध्यक्ष/आयुक्त , गढ़वाल मण्डल , शिविर कार्यालय देहरादून को कार्यवाही की प्रति संलग्न कर सादर प्रेषित है।

सचिव

आगामी तीन वित्तीय वर्षों की प्रस्तावित स्थिति रू0. लाख में			
राजस्व आय	वर्ष 2009–10	वर्ष 2010–11	वर्ष 2011–12
स्टाम्प ड्यूटी	20.00	20.00	25.00
ब्याज	128.00	135.00	145.00
मानचित्र शुल्क	100.00	110.00	122.00
शमन शुल्क	120.00	125.00	135.00
पर्यवेक्षण शुल्क	25.00	27.00	30.00
विविध माप	17.00	19.00	20.00
विकास शुल्क 10 प्रतिशत	40.00	45.00	50.00
भू–उपयोग परिवर्तन 10 प्रतिशत	8.00	9.00	15.00
फी होल्ड शुल्क 10 प्रतिशत	2.00	6.00	10.00
आय योग	**460.00**	**496.00**	**552.00**
राजस्व व्यय			
अधिष्ठान व्यय/पेशन अंशदान वे देयक भत्तें	162.50	175.00	185.00
कार्यालय भवन अनुरक्षण व्यय	208.75	160.00	170.00
वाहन अनुरक्षण	15.00	18.00	25.00
मास्टर प्लान	31.00	10.00	35.00
व्यय योग	**417.25**	**363.00**	**415.00**
प्रस्तावित बचत	**42.75**	**133.00**	**137.00**

आगामी तीन वर्षों के राजस्व आय–व्यय विवरण से स्पष्ट है कि आगामी वित्तीय वर्षों में राजस्व आय से राजस्व व्यय अधिक नहीं है। प्रत्येक वर्ष में बचत प्रस्तावित है। प्रस्तावित आगामी वर्षों की आय में वेतन भार व देय आयकर को सम्मिलित किया गया है।

वित्त अधिकारी
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

विगत तीन वर्षों की आय व्ययक स्थिति लाख में			
राजस्व आय	**2006-07**	**2007-08**	**2008-09**
स्टाम्प ड्यूटी	25.68	19.17	36.13
ब्याज प्राप्ती	476.24	66.13	90.34
मानचित्र शुल्क	46.51	95.96	100.34
शमन शुल्क	46.58	29.95	81.07
पर्यवेक्षण शुल्क	12.53	8.67	25.71
विविध प्राप्ती	3.41	5.43	4.18
विकास शुल्क	15.24	21.86	30.10
भू–उपयोग परिवर्तन	4.47	1.56	15.91
फी होल्ड शुल्क	1.66	0.28	0.37
पुस्तक विक्रय	99.98		3.60
राजस्व आय योग	**732.30**	**249.01**	**387.75**

उपरोक्त राजस्व आय का विवरण अवस्थापना विकास कार्य निधी, हरितिमा व अम्बार शुल्कों में कुल प्राप्त कुल आय को सम्बन्धित मदों में हस्तांतरण के बाद तैयार किया गया है।

राजस्व व्यय	**2006-07**	**2007-08**	**2008-09**
अधिष्ठान भत्ते व पेंशन अंशदान व्यय	64.04	66.22	94.68
कार्यालय भवन अनुरक्षण व्यय कार्यालय व्यय	20.87	49.63	146.24
वाहन पैट्रोल व अनुरक्षण व्यय	10.27	8.55	13.39
मास्टर प्लान व अन्य प्लांनिग व्यय	3.66	3.59	0.58
राजस्व व्यय योग	**98.84**	**127.99**	**254.89**
बचत	**633.46**	**121.02**	**132.86**

उपरोक्त विवरण का अवलोकन करने से स्पष्ट विदित होता है कि विगत तीन वर्षों की राजस्व आय व राजस्व व्यय का अवलोकन करने पर हरिद्वार विकास प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होती है।

विगत तीन वर्षों की बचत राशि रू0.887.34 लाख की बचत है। आगामी वर्षों में भी कोई देनदारी प्राधिकरण पर प्रस्तावित नहीं है। अतः आने वाले वर्षों में अनुमानित आय व्यय से स्पष्ट हैं कि प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ रहेगी।
अतः पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने पर प्रतिवर्ष लगभग 15 से 20 लाख का प्रतिवर्ष अधिभार प्राधिकरण वहन करने में पूर्ण सक्षम है। अतः बोर्ड के समक्ष वर्ष 2006 से देय पुनरीक्षित वेतन मान स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

वित्त अधिकारी
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

[illegible]
की राशि सी0पी0एफ0 में तथा दिनॉक 1–8–2009 से नकद भुगतान (भुगतान के समय देय आयकर की कटौती की जानी देय है।सी0पी0एफ0 में जमा होने वाली राशि को समानुपातिक 03 वर्षो में भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।जिसका सक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है–

क0सं0	नाम	पदनाम	कुल एरियर राशि	नकद राशि	वर्ष 2009–10	वर्ष 2010–11	वर्ष 2011–12
1	श्री अनिल कुमार त्यागी	अधिशासी अभि0	म0दे0वि0प्रा0 से वेतन निर्धारण शेषहै।				
2	श्री हरिश्चन्द सिंह राणा	सहायक अभियन्ता	301476	34245	89077	89077	89077
3	श्री अजय कुमार माथुर	सहायक अभि0	292067	35380	85563	85562	85562
4	श्री गोकुलचन्द जोशी	अवर अभियन्ता	303210	33100	90037	90037	90036
5	श्री आनन्दराम आर्य	अवर अभियन्ता	282957	30625	84111	84111	84110
6	श्री विजय कुमार माथुर	अवर अभियन्ता	308190	38760	89810	89810	89810
7	श्री अनिल कुमार सक्सेना	कार्यालय अधीक्षके	164661	20725	47979	47979	47978
8	श्री हरीश कुमार	कैशियर	148179	18060	43373	43373	43373
9	श्री केशवराम वर्मा	आशुलिपिक	148018	17880	43379	43379	43380
10	श्री नारायण किशोर नौटियाल	डा0इ0आपरेटर	144548	18605	41981	41981	41981
11	श्री सुशील किशोर जोशी	वरिष्ठ लिपिक	142694	18090	41535	41535	41534
12	श्री कामेश्वर	उद्यान निरीक्षक	116061	13605	34152	34152	34152
13	श्री गोविन्द सिंह	मानचित्रकार	165964	19300	48888	48888	48888
14	श्री महेशानन्द गौड	मानचित्रकार	144656	18630	42009	42009	42008
15	श्री विनोद कुमार राव	कनिष्ठ लिपिक	107694	13385	31437	31436	31436
16	श्री केशवचन्द उपाध्याय	कनिष्ठ लिपिक	107694	13385	31437	31436	31436
17	श्री घनश्यामचन्द	कनिष्ठ लिपिक	107694	13385	31437	31436	31436
18	श्री राकेश कुमार	कनिष्ठ लिपिक	120005	15370	34879	34878	34878
19	श्री राम मूर्तिलाल	कनिष्ठ लिपिक	118003	13675	34776	34776	34776
20	श्रीमती मृदुला गंगवार	कनिष्ठ लिपिक	117711	13645	34689	34689	34688
21	श्री बलराम सिंह	सर्वेयर	116665	14330	34112	34112	34111
22	श्री शिशुपाल सिंह	सर्वेयर	118875	15370	34502	34502	34501
23	श्री सुरेश कुमार	ट्रेसर	116325	13645	34227	34227	34226
24	श्री बिहारीलाल	वाहन चालक	107694	13385	31437	31436	31436
25	श्री सोरणलाल	वाहन चालक	113694	14630	33022	33021	33021
26	श्री दीपक कुमार	प्रभारी लिपिक	88728	10950	25926	25926	25926
27	श्री भुवनचन्द पंत	अनुचर	94615	11805	27604	27603	27603
28	श्री अशोक कुमार तिवारी	अनुचर	88728	10950	25926	25926	25926
29	श्री दुर्गा बहादुर थापा	अनुचर	88728	10950	25926	25926	25926
30	श्री शिवनारायण पाण्डेय	अनुचर	88728	10950	25926	25926	25926
31	श्री ललित कुमार	अनुचर	81073	9455	23873	23873	23872
32	श्री किशनस्वरूप सिंह	चौकीदार	97857	12620	28413	28412	28412
33	श्री पदम कुमार	मेला चौकीदार	76242	9545	22233	22232	22232
34	श्री अशोक कुमार	सफाई कर्मचारी	88728	10950	25926	25926	25926
35	श्री सदानन्द जोशी(से0निवृत)	वाहन चालक	56714	56714	–	–	–
	योग		4764876	626099	1379602	1379592	1379583

नोट– अधिशासी अभियन्ता का वेतन निर्धारण म0दे0वि0प्राधिकरण से प्राप्त होने पर तैयार किया जायेगा।
2– सी0पी0एफ0 से देय आयकर की कटौती भुगतान के समय की जायेगी।

23.11.09
एस0 के0 जोशी
बरिष्ठ लिपिक

वित्त अधिकारी
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

सचिव

प्रेषक,

उपाध्यक्ष,
हरिद्वार विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

सेवामें,

सचिव,
आवास विभाग,
उत्तराखण्ड शासन,
2826 देहरादून।

संख्या– /6ठे वे0मा0/2009 दिनॉक 02/1/2010

विषय– निगमों/ स्वायत्तशासी संस्थाओं में पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने हेतु मानक प्रपत्र पर विवरण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1927/ V–आ0–2009–153(आ0)/09 दिनॉक 6 अक्टूबर 2009 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रमुख सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या–260/XXV11(7)/2009 दिनॉक 27 अगस्त 2009 के द्वारा प्राधिकरणों के कार्मिकों को दिनॉक 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतनमान इस प्रतिबन्ध के अधीन पुनरीक्षित किए जाने का निर्णय लिया है कि प्राधिकरण अपनी बोर्ड बैठक में प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति के अनुसार निर्णय ले तथा प्राधिकरण पुनरीक्षित वेतन भुगतान करने की स्थिति में हो तो दिनॉक 1–1–2006 से 31–7–2009 तक के एरियर का भुगतान इस प्रतिबन्ध के अधीन हो कि समस्त एरियर का भुगतान समानुपातिक आधार पर कम से कम 03 वर्ष में विभाजित करते हुए भुगतान किया जायेगा। इसके लिए बोर्ड की संस्तुति पर प्रशासनिक विभाग व वित्त विभाग की सहमति से निर्धारित किया जायेगा ।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण,हरिद्वार की आगामी बोर्ड बैठक कुम्भ मेला–2010 के महत्वपूर्ण कार्यो के सम्पादन में व्यस्त होने के कारण बोर्ड बैठक आहुत करना सम्भव नहीं हो पाया है जिस कारण हरिद्वार विकास प्राधिकरण की 48वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 22–12–2009 को परिचालन विधि के द्वारा करायीं गयीं है। बोर्ड की संस्तुति सहित आवश्यक प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में तथा आवश्यक अभिलेखो सहित संलग्न कर प्रेषित है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि हरिद्वार विकास प्राधिकरण की विगत 03 वर्ष एंव आगामी 03 वर्षो की वित्तीय स्थिति सुदृढ है और प्राधिकरण अपने कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने एंव उसका भुगतान अपने संसाधनों द्वारा करने में पूर्ण रूप से सक्षम है।

अत: बोर्ड बैठक 22–12–2009 की संस्तुति सहित दिनॉक 1–1–2006 से 31–7–2009 तक एरियर राशि शासनादेश के अनुसार समानुपातिक 03 वर्षो में किए जाने एंव दिनॉक 1–8–2009 से नकद भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान कराने का कष्ट करे।

संलग्नक–
1– बोर्ड बैठक के निर्णय की छाया प्रति।
2– निर्धारित प्रारूप संलग्न में।

भवदीय

उपाध्यक्ष
हरिद्वार विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

जोशी/2612